फा0 सं. 22011/4/2007-एमपीआर

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक 4 जून, 2010

सेवा में,

1. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव (कृषि)/कृषि निदेशक
2. प्रबंध निदेशक, पीडीआईएल

विषय: पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति के अंतर्गत देश भर में एसएसपी के खुदरा विक्रेताओं से औचक आधार पर नमूने एकत्र करने के लिए पीडीआईएल के प्रतिनिधियों और राज्य सरकारों के कृषि अधिकारियों के दल का गठन करना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसानों को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अंतर्गत दिए गए मानकों के अनुसार सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उर्वरक विभाग विभिन्न उपाय कर रहा है। तदनुसार, उर्वरक विभाग ने निर्णय लिया है कि पीडीआईएल राज्य सरकारों के स्थानीय कृषि अधिकारियों के साथ मिलकर देश भर में एसएसपी के खुदरा विक्रेताओं से औचक आधार पर नमूने एकत्र करेगा। पीडीआईएल के प्रतिनिधियों और कृषि अधिकारियों का दल 3 नमूने एकत्र करेगा, जिनमें से एक नमूने की जांच राज्य कृषि विभाग द्वारा और शेष दो नमूनों की जांच पीडीआईएल और कृभको की प्रयोगशालाओं में की जा सकती है।

2. उपर्युक्त को देखते हुए सभी राज्य सरकारों को अपने सभी जिला कृषि अधिकारियों को यह निदेश जारी करने का अनुरोध किया जाता है कि वे एसएसपी के खुदरा विक्रेताओं से प्रत्यक्ष रूप से नमूने एकत्र करने के लिए पीडीआईएल के प्रतिनिधियों के साथ स्थानीय कृषि अधिकारियों का नामांकन करें।

3. पीडीआईएल और राज्य सरकार के उपर्युक्त दल द्वारा एकत्र किए गए नमूनों के परिणाम के आधार पर राज्य सरकारें एफसीओ और पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई कर सकती हैं।

भवदीय,

(धीरेंद्र [illegible])

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष एवं फैक्स: [illegible]

प्रतिलिपि :

1. प्रबंध निदेशक, कृभको, नोएडा
2. फर्टिलाइजर एशोसिएशन ऑफ इंडिया
3. एसएसपी के सभी उत्पादक/विपणनकर्ता
4. एनआईसी, उर्वरक विभाग-विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।